कार्यालय जिलाधिकारी मऊ।

पत्रांक 326 /आपदा-मऊ/22 दिनांक 20 अक्टूबर, 2022

विषय- राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन०डी०आर०एफ०) से सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त तहसीलदार,
जनपद-मऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उ०प्र०शासन, राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ के पत्र संख्या फाइल नं0-1-11099/18/2022-11 दिनांक 13.10.2022 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन०डी०आर०एफ०) से सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

अपर जिलाधिकारी,
मऊ।

पत्रांक /आपदा-मऊ/22/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित

1- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद-मऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुपालन करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी,
मऊ।

21-10-22

apda letter 2022-23

I/225535/2022

File No.1-11099/59/2022- -11-

प्रेषक,

प्रभु एन. सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक:13/10/2022

विषयः- राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन०डी०आर०एफ०) से सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 33-03/2020- एन०डी०एम-I दिनाँक 10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरें निर्धारित की गयी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.10.2022 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र द्वारा निर्धारित मानक मदो एवं दरों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. भारत सरकार का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.10.2022 संलग्नकों सहित निम्न वेबलिंक पर उपलब्ध हैः-

(1)www.rahat.up.nic

(2)https://ndmindia.mha.gov.in/images/Iitems%20and%20Norms%20of%20assistance%20from%20SDRF%20and%20NDRF%20dtd%2010%20Oct%202022.pdf

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(प्रभु एन. सिंह)
सचिव।

ADM/ 2059 17.X.22

जिलाधिकारी मऊ 17.10.22

2192/ST A.D.M

ADM(F/R) 18.10.22

Scanned with OKEN Scanner

F.No.33-03/2020-NDM-I (Vol-II)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

....

'C' Wing, 3rd Floor, NDCC-II,
Jai Singh Road, New Delhi.
Dated, the 10th October, 2022

To

(i) The Chief Secretaries of All States
(ii) The Relief Commissioners/Secretaries (DM) of all States.

Sub: Items and Norms of assistance from the State Disaster Response Fund (SDRF) and the National Disaster Response Fund (NDRF) for the period 2022-23 to 2025-26 - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Ministry's letter no 33-03/2021-NDM-I dated 12.01.2022(https://ndmindia.mha.gov.in/images/gallery/Guidelines%20SDRF%20&%20NDRF.PDF) and to state that based on the recommendations of the Fifteenth Finance Commission (FFC) on financing of disaster risk management and the report of the Expert Committee set up by this Ministry, the Government of India has revised the items and norms for assistance from SDRF and NDRF. The FFC has recommended three sub-windows of (i) Response & Relief; (ii) Recovery & Reconstruction; and (iii) Preparedness & Capacity Building, within SDRF and NDRF. Accordingly, the items and norms of expenditure have been divided in these 3 sub-windows. The approved list of items and norms for assistance from SDRF and NDRF in the wake of notified natural disasters is annexed (English and Hindi), which will be effective from the financial year 2022-23.

2. The revised items and norms is also available on the website of Disaster Management Division of the Ministry of Home Affairs i.e. www.ndmindia.mha.gov.in.

3. This supersedes Ministry of Home Affairs earlier letters No.32-7/2014-NDM-I dated the 8th April, 2015; No. 33-4/2020-NDM-I dated 14.03.2020, 28.03.2020, 14.07.2020, 23.09.2020, 15.04.2021 & 25.09.2021; No. 33-08/2020-NDM-I dated 27.05.2020; and No.04-01/2018-NDM-I dated 01.12.2020, on the subject.

Yours faithfully,

Encl: As above

10.10.22
(Pawan Kumar)
Director (DM-I)
Tel: 23438123
E-mail: mk.pawan65@gov.in

Copy for information and necessary follow up action to:

1. Accountant General of all State Governments.
2. Comptroller & Auditor General, (CAG), New Delhi.
3. Controller & Auditor General, (CAG), New Delhi.
4. Resident Commissioners of State Governments

....2/-

Scanned with OKEN Scanner

I/225535/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुसचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रवन्ध प्राधिकरण, लखनऊ को मा0 उपाध्यक्ष के अवगतार्थ।
8. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. निदेशक, डी०एम-I, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
11. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
12. निदेशक, कोषागार निदेशालय, लखनऊ।
13. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
15. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
16. राजस्व अनुभाग-10
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभु एन. सिंह)

सचिव।

Signed by प्रभु नारायण सिंह
Date: 13-10-2022 18:04:58
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

4

// -11

Distribution:

1. Ministry of Finance, Department of Expenditure [Addl. Secretary (FCD)], North Block, New Delhi.
2. Ministry of Agriculture, Joint Secretary (DM), Krishi Bhawan, New Delhi.
3. Member Secretary, National Disaster Management Authority, NDMA Bhawan, Safdurjung Bhawan, New Delhi.
4. All concerned Central Ministries/Departments/Organizations.
5. PMO/Cabinet Secretariat.
6. PS to HM/PS to MOS(N)
7. Sr. PPS to Home Secretary/Addl. Secretary (DM & FFR)/Joint Secretary (DM)/NIC.

10-10-22
(Pawan Kumar)
Director (DM-I)
Tel: 23438123
E-mail: mk.pawan65@gov.in

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक

राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से सहायता देने की मदों और मानदंडों की संशोधित सूची

[अवधि 2022-23 से 2025-26, गृह मंत्रालय का दिनांक 10 अक्तूबर, **2022** की पत्र संख्या 33-03/2020-एनडीएम-I (खंड-II)]

क्रम सं.	मद	सहायता के मानदंड
क	मोचन एवं राहत [राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष(एसडीआरएमएफ) का 40% अर्थात् वर्ष के लिए एसडीआरएफ आवंटन के 50% के बराबर]	
1	आनुग्राहिक राहत	
	क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रत्येक मृतक के लिए **4.00 लाख रु** । इसमें वे भी शामिल हैं जो राहत अभियानों में शामिल हैं अथवा तैयारी संबंधी कार्यकलापों से संबद्ध हैं। यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्यधीन है।
	ख) शरीर के किसी अंग (लिंब) अथवा आंख/आंखों की हानि होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रति व्यक्ति **74,000/-रु.**, जब अपंगता 40% और 60% के बीच हो। प्रति व्यक्ति **2.50 लाख रु.**,जब अपंगता 60% से अधिक हो। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी के डॉक्टर द्वारा किए गए प्रमाणन के अध्यधीन।
	ग) ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है	प्रति व्यक्ति **16,000/-रु.**, जब एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। प्रति व्यक्ति **5400/-रु.**, जब एक सप्ताह से कम की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। **नोट:** 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस मद के तहत राहत के लिए पात्र नहीं होंगे।
	घ) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर पानी में बह गए हैं/पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं/दो दिन से अधिक पानी में डूबे हुए हैं, उन परिवारों के लिए कपड़े और बर्तन/घरेलू सामान।	**2,500/-रु.** प्रति परिवार, कपड़ों की हानि के लिए । **2,500/- रु.** प्रति परिवार, बर्तनों/घरेलू सामान की हानि के लिए
	ड.) ऐसे परिवार जिनकी आजीविका का साधन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, को आनुग्राहिक राहत	जिन परिवारों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, ऐसे प्रभावित परिवारों के दो वयस्क सदस्यों को मनरेगा की प्रतिदिन वास्तविक दर या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की औसत दर, जो भी कम हो, के अनुसार आनुग्राहिक राहत प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना का औसत दर की गणना के लिए संदर्भ लिया जा सकता

Scanned with OKEN Scanner

		है। राहत राशि डीबीटी/नकद के माध्यम से वितरित की जानी चाहिए (केवल स्थिति की तात्कालिकता के मामले में), या राज्य सरकार द्वारा इस तरह की राहत वस्तु रूप में प्रदान की जा सकती है। राज्य सरकार प्रमाणित करेगी कि आनुग्राहिक राहत प्रदान किए जाने की अवधि के दौरान चिन्हित लाभार्थियों को राहत शिविरों में नहीं रखा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ऐसे लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए जिलेवार आधार और प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। आनुग्राहिक राहत उपलब्ध कराने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति और केन्द्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार होगी। सहायता की डिफॉल्ट अवधि 30 दिन की होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पहले 60 दिन और तदनंतर सूखा/कीट हमले के मामले में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस अवधि को निर्धारित सीमा से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एसडीआरएफ के लिए किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। साथ ही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिन व्यक्तियों को आनुग्राहिक राहत प्रदान की जाती है, उनकी सूची राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार और प्रमाण को अधिसूचित करेगी।
2.	**खोज एवं बचाव अभियान**	
	(क) खोज और बचाव उपायों/प्रभावित/जिनके प्रभावित होने की संभावना है, उन लोगों को खतरे की संभावना वाले स्थानों से निकालने की लागत।	एस ई सी द्वारा आकलित और केन्द्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुसार। जब तक केन्द्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जाता है, ये कार्यकलाप पहले ही खत्म हो जाते हैं। अतः राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय टीम वास्तविक/लगभग वास्तविक लागतों की सिफारिश कर सकती है।
	(ख) तात्कालिक राहत कार्यों हेतु तथा जीवन बचाने के लिए नावों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों को किराए पर लेना।	एस ई सी द्वारा आकलित तथा केन्द्रीय टीम (एनडीआरएफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुसार। सहायता की मात्रा, किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दौरान मानव जीवन को बचाने के लिए फंसे हुए लोगों के बचाव के लिए नौकाएं किराए पर लेने और अपेक्षित आवश्यक उपकरणों पर हुए वास्तविक खर्च तक सीमित होगी।

Scanned with OKEN Scanner

3.11	राहत उपाय	
	(क) प्रभावित/सुरक्षित निकाले गए और राहत कैंपों में आश्रय पाए लोगों के अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ों, चिकित्सा देखभाल, जेन-सेट आदि हेतु प्रावधान।	30 दिन की अवधि के लिए, एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार वास्तविक लागत के अनुरूप। एस ई सी द्वारा कैंपों की संख्या, उनकी अवधि और कैम्पों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करना आवश्यक होगा। सूखा, अथवा भूकंप अथवा बाढ़ आदि द्वारा हुई व्यापक तबाही जैसी आपदा के बने रहने की स्थिति में, यह अवधि 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती हैं। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस अवधि को निर्धारित सीमा से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान इस विंडो के तहत एस डी आर एफ के लिए किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। इलाज की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) द्वारा की जाए।
	(ख) आवश्यक वस्तुओं को हवाई जहाज से गिराना तथा वायु सेना द्वारा बचाव कार्य	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार। सहायता की मात्रा रक्षा मंत्रालय द्वारा अनिवार्य वस्तुओं को हवाई जहाज से जमीन पर गिराने संबंधी बिलों में दर्शाई गई वास्तविक राशि और बचाव अभियानों तक ही सीमित होगी।
	(ग) पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति का प्रावधान	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम द्वारा (एन डी आर एफ के मामले में) की गई अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार 30 दिन की अवधि के लिए, जिसे सूखे के मामले में 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस अवधि को निर्धारित सीमा से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एस डी आर एफ के लिए इस विंडो के तहत आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
4.	प्रभावित क्षेत्रों की सफाई	
	क) सार्वजनिक क्षेत्रों से मलबा हटाना	एस डी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और एन डी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय टीम के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की तारीख के 30 दिन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार।
	ख) प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी	एस. डी. आर.एफ. के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए एस.ई.सी. द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की

Scanned with OKEN Scanner

	ग) चारे /सूखे चारे का वितरण	तारीख से 30 दिन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार। वास्तविक लागत के अनुसार, जो एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केंद्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा की गई अनुशंसा पर आधारित है।
5	कृषि	
(i)	ऐसे छोटे एवं सीमांत किसानों, जिनके पास 2 हैक्टेयर तक भूमि है, को सहायता	
क.	भूमि और अन्य नुकसान के लिए सहायता	
	क) कृषि भूमि से गाद निकालना (जहां पर रेत/गाद निक्षेप की मोटाई 3 इंच से अधिक है, जिसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)।	प्रत्येक मद के लिए 18000/- रु. प्रति हैक्टेयर। उपरोक्त राशि प्रति किसान न्यूनतम 2200/- रु. की सहायता के अध्यधीन है।
	ख) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाना।	(इस शर्त के अध्यधीन कि लाभार्थी द्वारा अन्य किसी सरकारी योजना के तहत कोई अन्य सहायता / सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई है/तथा वह उसको प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है)
	ग) गाद निकालना/पुनरुद्धार/मछली फार्मों की मरम्मत।	
	घ) भू-स्खलन, हिमस्खलन, नदियों के मार्ग बदलने के कारण हुई पर्याप्त भू-भाग की हानि	केवल उन छोटे और सीमान्त किसानों को 47000/- रु. प्रति हैक्टेयर, जिनकी भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है। उपरोक्त राशि प्रति किसान न्यूनतम 5000/- रु. की सहायता के अध्यधीन है।
ख.	इनपुट सब्सिडी (जहां पर फसलों का नुकसान 33% और उससे अधिक है)	
	क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए	8500/- रु. प्रति हैक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम 1,000/- रु. के अधीन है और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है। 17,000/- रु. प्रति हैक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में। उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम 2000/- रु. के अधीन है और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है।
	ख) बारहमासी फसलें/एग्रो फोरेस्ट्री (अपने खेतों में वृक्षारोपण)	22,500/- रु. प्रति हैक्टेयर, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों / कृषि वानिकी (स्वयं के खेत में वृक्षारोपण) के लिए और यह सहायता प्रति किसान न्यूनतम 2,500/- रुपये की सहायता के अध्यधीन तथा बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है।
	ग) रेशमकीट पालन /उत्पादन	6000/- रु. प्रति हैक्टेयर, ऐरी, मलबरी, टसर के लिए। 7500/- रु. प्रति हैक्टेयर, मूगा के लिए।

Scanned with OKEN Scanner

		उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम 1000/- रुपये की शर्त के अधीन है और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है।
(ii)	ऐसे किसानों को इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि है	8,500/- रु. प्रति हैक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में और बुवाई वाले क्षेत्रों तक सीमित। 17,000/- रु. प्रति हैक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्रों के लिए और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित। 22,500/- रु. प्रति हैक्टेयर, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/पेड़ों, जिसमें पुष्पकृषि (फसल के खेत में वृक्षारोपण) भी शामिल है, के लिए और यह सहायता बोए गए क्षेत्रों तक सीमित। जहां फसल का नुकसान 33% और उससे अधिक है, वहां सहायता प्रदान की जा सकती है, जो प्रति किसान 2 हैक्टेयर की सीमा के अधीन है।
	नोट: मद संख्या 5(i)(ख) और 5(ii) के तहत इनपुट सब्सिडी के लिए सहायता को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत प्राप्त बीमा दावे की सीमा तक तत्काल आपदा के लिए समायोजित किया जाएगा।	
6.	**पशुपालन - छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन पशु मालिकों को सहायता**	
	i) दुधारू पशुओं, गैर दुधारू पशुओं अथवा ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं की भरपाई हेतु सहायता।	दुधारू पशु- **37500/- रु.-** भैंस / गाय /ऊँट/याक / मिथुन आदि के लिए **4000/- रु.-** भेड़/बकरी/सुअर के लिए **गैर-दुधारू पशु -** **32,000/- रु. -** ऊँट / घोड़ा/बैल आदि के लिए **20,000/- रु. -**बछड़ा / गधा/टट्टू/खच्चर /हेफर आदि के लिए सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं के वास्तविक नुकसान तक दी सकती है और यह 3 बड़े दुधारू पशुओं और/या 30 छोटे दुधारू पशुओं या 3 बड़े गैर-दुधारू पशुओं और/या 6 छोटे गैर-दुधारू पशुओं की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी तथा इस बात पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी कि किसी परिवार की भारी मात्रा में पशुओं की क्षति हुई है अथवा नहीं। (जानवरों के नुकसान के दावे पर तभी विचार किया जाएगा जब छोटे और सीमांत किसानों / भूमिहीन पशुधन मालिकों के स्वामित्व वाले जानवरों की संख्या और प्रकार स्थानीय / नामित अधिकारियों के पास पंजीकृत हों।)

		मुर्गीपालन:- प्रति लाभार्थी परिवार को **10000/- रु.** की सहायता की सीमा के अध्यधीन मुर्गीपालन हेतु प्रति पक्षी **100/- रु.**। कुक्कुटों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। **टिप्पणी:** यदि सहायता किसी अन्य सरकारी योजना अर्थात् एवियन इन्फ्लुएंजा अथवा किसी ऐसी अन्य बीमारी जिसके लिए पशु पालन विभाग के पास पोल्ट्री मालिकों की क्षतिपूर्ति हेतु कोई अलग स्कीम हैं, के कारण पक्षियों का नुकसान हुआ है तो इन मानदण्डों के अंतर्गत राहत प्रदान किए जाने की पात्रता नहीं होगी।
	ii) पशु कैंपों में जलापूर्ति एवं दवाइयों सहित चारे/फीड कन्सन्ट्रेट का प्रावधान **व्याख्या:** इसमें मौजूदा गोशालाएं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन पशु शिविर के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचना या सरकारी आदेश द्वारा अधिकृत किया गया है, भी शामिल होंगी:- (i) आपदा की अवधि के दौरान जिला प्रशासन पशु आश्रय की आवश्यकता और जिला/तहसील में पशु आश्रय के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए आवश्यक गोशालाओं की संख्या का आकलन करेगा। पहले से आश्रय में रखे गए मवेशियों के बारे में बेसलाइन की जानकारी प्राप्त करने के बाद और अधिक मवेशियों की संख्या को प्राप्त करने के बाद, गोशाला को पशु आश्रय के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। (ii) अधिसूचित गोशाला अधिसूचित सूखे की अवधि के लिए एसएमएफ और भूमिहीन मजदूरों से संबंधित अतिरिक्त मवेशियों का लेखा-जोखा रखेगी। एसएमएफ एवं भूमिहीन लाभग्राहियों की समेकित सूची, पशुओं की संख्या एवं प्रकार सहित, सत्यापन और सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य से ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील के नोटिस बोर्ड पर तथा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के साथ-साथ राज्य/जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। । (iii) एसडीआरएफ निधियां केवल ऐसी	बड़े पशु - **80 रु.** प्रतिदिन. छोटे पशु – **45 रु.** प्रतिदिन राहत प्रदान किए जाने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किए गए आकलन तथा केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) के आधार पर तय की जाएगी। सहायता के लिए डिफॉल्ट अवधि 30 दिन होगी जिसे प्रथम बार 60 दिन तथा गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस समय-सीमा को निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एस डी आर एफ के लिए इस विंडो (मोचन एवं राहत) के तहत किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । वास्तविक लागत, जो पशुधन गणना के अनुसार पशुओं के अनुमान के समनुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर आधारित होगी और दवाइयों व वैक्सीन की आवश्यकता के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यधीन होगी।

Scanned with OKEN Scanner

	अधिसूचित योजना की प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी की जाएगी और यह ऊपर क्रम संख्या (ii) में अधिसूचित एकल लाभार्थियों की सूची तक सीमित होगी।	
	iii) पशु शिविरों से बाहर रह रहे पशुओं के लिए चारा पहुंचाना	अधिसूचित आपदा के दौरान परिवहन की वास्तविक लागत के अनुसार, पशुधन गणना के आधार पर पशुओं के अनुमान के अनुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर किया जाएगा।
7	मत्स्यपालन	
	i) मछुआरों को क्षतिग्रस्त/गुम हो गई गैर- पंजीकृत नावों, जालों की मरम्मत /उन्हें बदलने हेतु सहायता। (यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी / सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी)	6000 रु.- केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत के लिए 3000 रु. -आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जालों की मरम्मत के लिए 15000 रु. -पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नावों को बदलने के लिए 4000 रु.- पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त जालों को बदलने के लिए (इस मद के तहत सहायता किसी भी बीमा योजना के तहत मछुआरे को तत्काल आपदा के लिए प्राप्त बीमा दावे, यदि कोई हो, की सीमा तक समायोजित की जाएगी)।
	ii) छोटे एवं सीमांत किसानों को मछली के चारे हेतु इनपुट सब्सिडी	10,000 रु. प्रति हैक्टेयर । मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना के तहत प्रदान की जाने वाली एकबारगी सब्सिडी को छोड़कर, यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना के तहत मौजूदा आपदा के लिए पात्र है या कोई सब्सिडी / सहायता प्राप्त की है, तो उसे यह सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
8	**हस्तशिल्प / हथकरघा शिल्पकारों की सहायता**	
	i) क्षतिग्रस्त मुख्य कार्यात्मक औजारों/उपकरणों को बदलने हेतु	उपकरणों के लिए प्रति शिल्पकार 5000 रु. सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन ।
	ii) सामान तैयार होने के दौरान कच्चे माल/ तैयार माल की हानि के लिए	कच्चे माल के लिए प्रति शिल्पकार 5000 रु. सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन ।

पवन कुमार

9	टिड्डी नियंत्रण	
	टिड्डी नियंत्रण के लिए पौध संरक्षण रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे उपकरणों के साथ वाहनों, ट्रैक्टरों को किराए पर लेना, पानी के टैंकरों को किराए पर लेना और टिड्डी नियंत्रण के लिए पौध संरक्षण रसायनों की खरीद करना।	एसईसी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और केंद्रीय टीम द्वारा अनुशंसित (एनडीआरएफ के मामले में) आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार। सहायता की मात्रा टिड्डियों के हमले के दौरान टिड्डी नियंत्रण के लिए पौधों के संरक्षण हेतु रसायनों के छिड़काव के लिए स्प्रे उपकरणों के साथ वाहनों, ट्रैक्टरों को किराए पर लेने पर होने वाले वास्तविक खर्च तक सीमित होगी। हालांकि, इस संदर्भ में व्यय, किसी भी स्थिति में, वर्ष के लिए इस विंडो (मोचन और राहत) के तहत एसडीआरएफ आवंटन के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।
ख.	**रिकवरी और पुनर्निर्माण:** (एसडीआरएमएफ का 30% अर्थात् वर्ष के लिए एसडीआरएफ आबंटन के 37.50% के बराबर)	
10	आवासन	
	क) पूरी तरह से क्षतिग्रस्त / नष्ट हुए घर और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घर	
	i) पक्का घर ii) कच्चा घर	मैदानी इलाकों में 1,20,000/- रु. प्रति घर पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000/- रु. प्रति घर
	ख) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान (झोपड़ियों के सिवाय) जहां क्षति कम से कम 15% है	
	i) पक्का घर ii) कच्चा घर	65,00/- रु. प्रति घर 4000/- रु. प्रति घर
	ग) क्षतिग्रस्त/ नष्ट हो गई झोपड़ियां:	8000/- रु. प्रति झोपड़ी, (झोपड़ी का अर्थ है अस्थाई तौर पर बनाई गई इकाई जो कच्चे मकान से कमजोर होती है, यह घास-फूस, मिट्टी प्लास्टिक की पन्नियों आदि से बनी होती है, राज्य/जिला प्राधिकरणों द्वारा इसे पारंपरिक तौर पर झोंपड़ी के रूप में माना जाता है)। नोट: क्षतिग्रस्त घर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत निर्माण होना चाहिए।
	ड.) घर से जुड़ा पशुओं का बाड़ा	3000/- रु. प्रति शेड

11	**अवसंरचना** [क्षतिग्रस्त अवसंरचना की (तत्काल प्रकृति की) मरम्मत व पुनरुद्धार]	
	(1) सड़कें और पुल, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं: i) दरारों और गड्ढों को भरना, जलमार्ग बनाने के लिए पाइप का उपयोग, तटबंधों की मरम्मत और पत्थर की पिचिंग। ii) टूटी पुलियों की मरम्मत। iii) तत्काल संपर्क बहाल करने के लिए पुलों के क्षतिग्रस्त/बह गए हिस्सों को डायवर्जन प्रदान करना। iv) पुलों/तटबंधों तक पहुंचने के अस्थायी मार्गों की मरम्मत, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, तत्काल संपर्क बहाल करने के लिए कॉजवे की मरम्मत, यातायात बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त सड़कों पर दानेदार सब-बेस।	आवश्यकताओं का आकलन: एसईसी द्वारा किए गए आकलन और केंद्रीय टीम की सिफारिश (एनडीआरएफ के मामले में) के आधार पर राज्यों द्वारा अधिसूचित दरों की सूची के अनुसार। सड़कों की मरम्मत के मामले में राज्य के अधिसूचित साधारण मरम्मत (ओआर) और आवधिक नवीनीकरण (पीआर) के आधार पर सहायता दी जाएगी। यदि ओआर एवं पीआर उपलब्ध नहीं है, तो इस मद में निर्धारित दर के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। तथापि, किसी भी स्थिति में, जो भी कम हो, उस दर पर सहायता प्रदान की जाएगी। निर्धारित दर इस प्रकार है:- राज्य राजमार्गों/प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) की मरम्मत - सामान्य क्षेत्रों में -- **1.0** लाख रु. प्रति किमी की दर से; - पहाड़ी क्षेत्रों में -- **1.25** लाख रु. प्रति किमी की दर से; ग्रामीण सड़कों /पुलिया वाली गांव की सड़कों की मरम्मत - सामान्य क्षेत्रों में -- **60,000/-** रु. प्रति किमी की दर से, - पहाड़ी क्षेत्रों में -- **75,000 /-** रु. प्रति किमी की दर से; आरसीसी पुलिया/पुल की मरम्मत - सामान्य क्षेत्रों में -- **60,000/-** रु. प्रति पुलिया की दर से; - पहाड़ी क्षेत्रों में -- **75,000/-** रु. प्रति पुलिया की दर से।
	(2) पेयजल आपूर्ति योजनाएं, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हो सकती हैं:- i) हैंडपंप/रिंग वेल/स्प्रिंग-टैप्ड चैंबर्स/सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट, सिस्टर्न के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों की मरम्मत। ii) क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्टों का पुनर्निर्माण, जिसमें क्षतिग्रस्त पाइपों को नई पाइपों से बदलना, साफ पानी के जलाशय की सफाई (इसे लीक प्रूफ बनाना) शामिल है। iii) क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीनों की मरम्मत, ओवरहेड जलाशयों और पानी के लीक हो रहे पंपों की मरम्मत, जिसमें क्षतिग्रस्त इंटेक-आउटटेक संरचना, एप्रोच गैन्ट्री / जेटी शामिल हैं।	- क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति योजनाएँ प्रति क्षतिग्रस्त योजना के लिए **2.00 लाख रुपये** की सीमा के अधीन वास्तविक व्यय के अनुसार सहायता के लिए पात्र होंगी। - **10,000/-** रुपये प्रति कुएं की सीमा के अधीन सामुदायिक पेयजल कुओं पर हुए वास्तविक व्यय के अनुसार सफाई।
	(3) लघु सिंचाई योजनाएँ, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं:	लघु सिंचाई कार्यों की मरम्मत के मामले में संबंधित राज्य द्वारा अधिसूचित मरम्मत के लिए दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार सहायता दी जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

	i) सीमेंट, रेत के बोरों और पत्थरों का उपयोग करके क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं और टैंकों और छोटे जलाशयों के मिट्टी/चिनाई कार्यों की तत्काल मरम्मत। ii) बांध की दीवारों/तटबंधों में पाइपिंग या रेट होल जैसे कमजोर क्षेत्रों की मरम्मत। iii) नहर और जल निकासी व्यवस्था से वनस्पति सामग्री/निर्माण सामग्री/मलबे को हटाना। iv) लघु सिंचाई परियोजनाओं के तटबंधों की मरम्मत।	यदि एसओआर उपलब्ध नहीं है, तो प्रति क्षतिग्रस्त लघु योजना के लिए 2.00 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन सिंचाई योजना/नहर के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। नोटः- तथापि, किसी भी स्थिति में, जो भी कम हो, उस दर पर सहायता प्रदान की जाएगी। लघु सिंचाई परियोजनाओं के क्षतिग्रस्त तटबंधों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता, ग्रामीण सड़कों के मामले के समान ही, इस शर्त के अध्यधीन होगी कि किसी भी चालू योजना के संबंध में कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
	(4) बिजली (केवल प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली तक सीमित): 11 केवी तक के क्षतिग्रस्त पोल/कंडक्टर और ट्रांसफार्मर।	क्षतिग्रस्त विद्युत क्षेत्र की मरम्मत के संबंध में बेयर कंडक्टर के साथ 11 केवी और एलटी लाइन के स्तर तक के क्षतिग्रस्त कंडक्टरों, खंबों और ट्रांसफार्मरों के लिए सहायता निम्नानुसार दी जाएगी: सहायता की दर होगी: - **5000** रुपये प्रति पोल; - क्षतिग्रस्त एलटी लाइनों की मरम्मत के लिए **0.50** लाख रु. प्रति किमी; - एक क्षतिग्रस्त डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को बदलने के लिए **1.00** लाख रुपये। (नोटः-उपरोक्त सहायता उन मदों के लिए लागू नहीं होगी जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है)।
	(5) विद्यालय 'क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत'	प्रति विद्यालय **2.00** लाख रु. की सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार।
	(6) प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 'प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत'	प्रति यूनिट **2.00** लाख रु. की सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार।
	(7) पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक संपत्ति 'महिला मंडल, युवा केंद्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन, आंगनबाडी आदि की अस्थाई मरम्मत।'	**2.50** लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के अनुसार।
ग.	**तैयारी और क्षमता-निर्माण** (एसडीआरएमएफ का 10% अर्थात् वर्ष के लिए एसडीआरएफ आबंटन के 12.50% के बराबर)	

Scanned with OKEN Scanner

12.	आपदा से निपटने के लिए संचार उपकरणों आदि सहित आवश्यक खोज, बचाव और निकासी उपकरणों का प्रापण।	एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की तैयारी और क्षमता निर्माण विंडो के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देशों द्वारा तैयारियों और क्षमता निर्माण विंडो से जुड़े व्यय का लेखा-जोखा रखा जाएगा।
13	क्षमता निर्माण	
घ	**राज्य विशिष्ट आपदाएं**	
	राज्य में स्थानीय संदर्भ में राज्य विशिष्ट आपदाएं, जो एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं, से संबंधित व्यय की पूर्ति एसडीआरएफ के संबन्धित विंडो की वार्षिक निधि आबंटन के 10% की सीमा के भीतर एसडीआरएफ से की जा सकती है।	एस ई सी द्वाराकिए गए आकलन के अनुसार , व्यय केवल एसडीआरएफ (और एनडीआरएफ से नहीं) से किया जाना है। विभिन्न मदों के लिए मानदंड वही होंगे जो ऊपर सूचीबद्ध किए गए अनुसार अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं पर लागू होते हैं; या इन मामलों में, 'स्थानीय आपदा' हेतु प्रत्येक मद के लिए प्रदान की जाने वाली राहत सहायता, एसडीआरएफ के मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए। छूट तभी लागू होगी जब राज्य ने औपचारिक रूप से आपदाओं को शामिल करने के लिए सूचीबद्ध किया है और एसईसी के अनुमोदन से ऐसी स्थानीय आपदाओं हेतु आपदा राहत के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया के साथ पारदर्शी मानदंड और दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
ड.	**एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत शामिल नहीं की गई मदें**	
	क) कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भवन ख) प्रमुख/मध्यम सिंचाई योजनाएं ग) बाढ़ नियंत्रण और अपरदनरोधी संरक्षण कार्य घ) जल विद्युत परियोजना/एचटी वितरण प्रणाली/ट्रांसफॉर्मर और सब स्टेशन ड.) हाईटेंशन लाइन (11 केवी से ऊपर) च) राज्य सरकार के भवन अर्थात विभागीय/विभागीय कार्यालय भवन /आवासीय क्वार्टर, धार्मिक संरचनाएं, पटवारखाना, कोर्ट परिसर, खेल का मैदान, वन बंगला संपत्ति और पशु/पक्षी अभयारण्य आदि। छ) लंबी अवधि/स्थायी पुनरुद्धार कार्य ज) एनडीआरएफ के तहत उपकरणों/मशीनरी की खरीद झ) राष्ट्रीय राजमार्ग ञ) दूरसंचार और बिजली (बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली को छोड़कर) जैसे क्षेत्र, जो अपने स्वयं के राजस्व का अर्जन करते हैं, और अपने स्वयं के धन/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य भी करते हैं, इसमें शामिल नहीं हैं।	

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner